(ii) Developing alternate land use systems such as agro-forestry, silvi-pasture, agri-horticulture etc. to suit the potential land capability.

(iii) Developing integrated nitrient management systems with emphasis on promotion of various sources of organics such as farm yard manure, compost, sludges from bio-gas plants and sewage treatment plant, crop residues, green manure crops, legumes in crop rotation, green leaf manuring and use of bio-fertilizers in addition to chemical fertilizers.

Fixation of minimum support prices by the Commodities Boards

*71. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to authorise the Commodity Boards to fix the minimum support prices of the concerned commodities, delinking those from the purview of the commission for Agricultural Cost and Prices; and

(b) if so, the details thereof?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI DEVI LAL): (a) and (b) No change in the present system of the Commission for Agricultural Costs and Prices recommending procurement/minimum support prices for major agricultural commodities is contemplated.

[*72 **Transferred to the 14th May, 1990.**]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों का पंजीकरण तथा आवंटन

*73. **श्री कपिल वर्मा :**
श्रीमती वीणा वर्मा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों के पंजीकरण तथा आवंटन के लिये अनुसरण की जा रही नीति को लेकर लोगों में काफी रोष है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण योजना पहली बार किस तारीख को आरंभ की गई थी और उस योजना के अंतर्गत कुल कितने व्यक्तियों ने पंजीकरण कराया था तथा उनमें से कितने व्यक्तियों को फ्लैट दिये जा चुके हैं ; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक ऐसी कितनी आवास योजनाएं चलाई गई हैं तथा इन योजनाओं के अंतर्गत कितने लोगों को फ्लैट आवंटित किये जा चुके हैं और उनका योजनावार ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) प्रथम पंजीकरण योजना 11 नवम्बर, 1969 को आरम्भ हुई थी । 10866 व्यक्ति पंजीकृत किये गये थे । सभी पात्र पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैटों का आवंटन कर दिया गया है ।

अब तक 17 योजनायें आरम्भ की गई हैं, जिनमें 1,91,916 व्यक्तियों को नीचे दिये गये ब्यौरों के अनुसार फ्लैटों का आवंटन किया गया है :—

योजना का नाम	फ्लैट आवंटित किए व्यक्तियों की संख्या
1. सामान्य आवास योजनायें I से VII	65,590
2. नवीन पद्धति योजना, 79	93,057
3. स्ववित्त पोषित योजनाय (8 योजनायें)	33,269
4. अम्बेडकर आवास योजना, 89	कोई पंजीकरण/आवंटन नहीं किया गया है
योग :	1,91,916

तथापि, आवंटन में अनवरत पिछला बकाया उन पंजीकृत व्यक्तियों में रोष का मुख्य कारण है जो प्रतीक्षा सूची में हैं ।